

MSTP/Dy.No-855
12/12/14

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes


NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2014

S.O. ___(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Karnataka Electricity Regulatory Commission, a Commission constituted by the Government of Karnataka in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of grants and loans from the Government of Karnataka;
 - (b) statutory fees;
 - (c) interest earned from investment
2. This notification shall be applicable for the financial years 2014-2015 to 2018-2019.
3. The notification shall be subject to the conditions that Karnataka Electricity Regulatory Commission:-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 78/2014/F.No. 196/22/2014-ITA.I]


(Deepshikha Sharma)
Director to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड () में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 12 दिसम्बर, 2014

का.आ. (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा गठित आयोग 'कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) कर्नाटक सरकार से अनुदानों और ऋणों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) सांविधिक शुल्क;
- (ग) निवेश से अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन:

- (क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;
- (ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और
- (ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।

[अधिसूचना संख्या 78/2014 फा.सं. 196/22/2014-आकनि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली।